

18/6/24

पत्रावली पेश। वादी वकील आनुपस्थित।
वादी वकील व वादी की हस्त-हस्त कर
बाल-बाल आवक लगाई गई कोई
बुझाई नहीं। अतः पत्रावली अक्षम
पेश की अक्षम हावरी में खारिज की
जाती है। व पत्रावली फौजल शुका
है। खारिज दफ्तर ही व गार्ड से
करा है।

सहायक कलेक्टर, सांघौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांघौर)